

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सुबन्धु
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सहायक निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया।

पटना, दिनांक.....

विषय:- प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में कार्यरत समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों को कैडर मैपिंग, सेवासम्पुष्टि, पदस्थापन एवं प्रशिक्षण आदि से संबंधित मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-701 दिनांक-27.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश सं०-219 दिनांक-10.11.2022, आदेश सं०-244 दिनांक-29.11.2022 एवं आदेश सं०-34 दिनांक-13.02.2023 द्वारा कुल 10 निम्नवर्गीय लिपिक को बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अन्तर्गत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय हेतु इनकी सेवा जिला को सुपूर्द की गयी है। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक को निम्नवत् शर्तों के साथ सेवा जिला समाहरणालय को सौंपी गई एवं संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है:-

- (i) सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिकों का परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से 02 वर्ष होगी।
- (ii) सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
- (iii) सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिकों पर बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2011 एवं संशोधन नियमावली 2013 लागू होगी।
- (iv) सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिकों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

2. विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-222, दिनांक-24.01.2020 के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत जिला समाहरणालय के नियंत्राधीन 75 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 75 उच्चवर्गीय लिपिक के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पुनः विभागीय संकल्प संख्या-4334, दिनांक-14.08.2025 द्वारा 459 निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतएव जिला अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय हेतु कुल-534 निम्नवर्गीय लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

“प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के सभी लिपिकीय पद संबंधित जिला समाहरणालय के नियंत्राधीन लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत होंगे। यह बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेव शर्त) नियमावली 2011 एवं संशोधन नियमावली 2013 से आच्छादित होगा। सम्बंधित जिला पदाधिकारी वर्णित पद के नियंत्री पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।”

इन पदों पर होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट-मुख्यशीर्ष-2053 जिला प्रशासन उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष-0010-अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड-30-2053000940010 के अन्तर्गत मांग संख्या-30 से विकलनीय होगा।

उपर्युक्त के आलोक में प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में नियुक्त एवं पदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिकों (अनुकंपा सहित) के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी हैं एवं उनकी सेवा संबंधी मामलों का निष्पादन बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2011 एवं संशोधन नियमावली 2013 से आच्छादित होगी। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के उप सचिव

सं. क्र- अ०सं०क०-01-(पद सृजन) 41/2018.....3928/ पटना, दिनांक 24/09/26

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/सभी सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई.टी.प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/26
सरकार के उप सचिव